मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांकः एफ 25/87/2001/पीडब्लूसी(नियम)/चार ,भोपाल,दिनांक 7-7-2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष,राजस्व मंडल ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषय- गुमशुदा/लापता शासकीय कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधाएं प्रदान करने के बारे में ।

संदर्भ- इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ बी-6/2/86/नियम/चार,दिनांक 3.8.89 .

विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञाप द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि ऐसे शासकीय सेवक जो अचानक लापता हो गये और फिर उनका कोई पता ठिकाना मालूम नही हो पाए तो उनके परिवार के पात्र सदस्यों को देय विभिन्न स्वत्व यथा पेंशन, उपदान,देय वेतन,अवकाश नगदीकरण सामान्य भविष्य निधि की राशि आदि स्वीकृत करने में कठिनाईयां होती हैं । ऐसे लापता शासकीय कर्मचारियों के मामलों में उनके परिवार को देय स्वत्वों के भुगतान की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में भारत शासन पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के ज्ञाप क्रमांक 1(17) पी एंड पी डब्लू/86 दिनांक 29.8.86 के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं ।इन निर्देशों के अनुसार एफ.आई.आर.दर्ज होने के 1 वर्ष बाद परिवार पेंशन की पात्रता आती हे ।

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 1(17) पी एडं पी डब्लू /86 दिनांक 18.2.93 के द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज होने के दिनांक से ही परिवार पेंशन के भुगतान की स्वीकृति संबधी स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं । भारत सरकार के उक्त ज्ञाप की प्रतिलिपि संलग्न है । राज्य शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के इस प्रकार के प्रकरणों में वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 3.8.89 में उल्लेखित शर्तों के अधीन भारत सरकार के उक्त ज्ञान दिनांक 18.2.93 के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाने का निर्णय लिया है ।अतः इस प्रकार के मामलों में तदनुसार कार्यवाही की जाये ।

संलग्न -उपरोक्तानुसार

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(हस्ताक्षर)
(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

पृष्ठांकन एफ 25/87/2001/नियम/चार भोपाल दिनांक 7-7-2004

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल।
2. सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल।
3. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश शासन ।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. रजिस्टार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाअधिकारी)मंत्रालय भोपाल
17. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल।
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
19. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश।
20. सभी कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश।
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल।
22. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी. वर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग